

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-4) विभाग

क्रमांक : प.1(1)कार्मिक/क-1/17


जयपुर, दिनांक : 11-10-2017

आज्ञा

श्री जगमोहन सिंह, आर.ए.एस., जिला रसद अधिकारी, उदयपुर के खिलाफ प्राप्त शिकायतों की जांच विचाराधीन होने के कारण राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-13 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करने के एतद्वारा आदेश प्रदान करती है।


श्री जगमोहन सिंह, आर.ए.एस., जिला रसद अधिकारी, उदयपुर का निलम्बन अवधि में मुख्यालय शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के कार्यालय में रहेगा।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,


(अरविन्द कुमार पोसवाल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संभागीय आयुक्त, उदयपुर।
5. जिला कलक्टर, उदयपुर।
6. श्री जगमोहन सिंह, आर.ए.एस. को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे शासन सचिव, कार्मिक के कार्यालय में इस प्रयोजनार्थ रखी गई उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति अंकित करें। उन्हें यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि वे शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना मुख्यालय नहीं छोड़े।
7. कार्मिक (क-1/गो.प्र.) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव